

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 465

दिनांक 25/02/2022

प्रार्थीगण :-

1. गोरधन पुत्र मूला 2. रूगनाथ 3. वनाराम पि.
लिखमाराम 4. गवरी पत्नि लिखमाराम
जातियान जाट, निवासी सोडियार
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

1. पन्ना 2. डालू 3. पेमा 4. भगवाना पि. कुम्भा
5. चेतन 6. विशना 7. सोना पि. अचला 8. मुकना
पुत्र पूरा 9. उदा 10. सोना पि. कोशला
11. हिमथा पुत्र पोकर, जातियान जाट
निवासी सोडियार, तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 19/2019

दिनांक : 15.02.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बाछड़ाऊ के मौजा सोडियार के खेत खसरा सं. 161/91 रकबा 125.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा काशत में परिवर्तन किये बिना नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिंदु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 466 to 469
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण गोरधन वगैरा
3. विप्रार्थीगण पन्ना वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

दिनांक

25/02/2022



उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

चौहटन